प्रेषक,

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 24 मार्च, 2023

विषयः- केन्द्र पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 में भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-2071/स0क0/विकास/अत्या0उत्पी0-उपभोग/2022-23, दिनांक-15.03.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत प्रकरण में शासनादेश संख्या-19/2023/461/26-3-2023, दिनांक- 09.03.2023 द्वारा केन्द्रांश के रूप में रू0-2528.045 लाख की धनराशि निर्गत की जा चुकी है।

3- उपरोक्त पृष्ठभूमि में निदेशक, समाज कल्याण के पत्र दिनांक-15.03.2023 द्वारा केन्द्रपुरोनिधानित योजनान्तर्गत नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के क्रियान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत सरकार के पत्र दिनांक-14.03.2023 द्वारा स्वीकृत केन्द्रांश की धनराशि रू0-2048.82875 (रू0 बीस करोड अडतालीस लाख बयासी हजार आठ सौ पचहत्तर मात्र) लाख अवमुक्त किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

4- तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत सरकार के पत्र संख्या-11014/15/2017-पी0सी0आर(डेस्क), दिनांक-14.03.2023 द्वारा स्वीकृत केन्द्रांश रू0-2048.82875 लाख एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-24/2022/बी0-1-750/दस-2022/2022, दिनांक-08.11.2022 में दिये गये निर्देशानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-83 के लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0111-अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को सहायता (50 प्रतिशत भारत सरकार जिला योजना) (के.50/रा.50-के.+रा.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में **रू0-2048.82875 (रू0 बीस करोड अडतालीस लाख बयासी हजार आठ सौ पचहत्तर मात्र)** की निम्नानुसार वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री

क्रमांक	लेखाशीर्षक	मानक मद	प्राविधानित धनराशि	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	2225-अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0111-अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को सहायता (50 प्रतिशत भारत सरकार जिला योजना) (के.50/रा.50-के.+रा.)	20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	13680.00	2048.82875
महायोग-			**13680.00**	**2048.82875**

(रू0 बीस करोड अडतालीस लाख बयासी हजार आठ सौ पचहत्तर मात्र)

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1)-स्वीकृत की जा रही धनराशि वर्ष 2022-23 के लिये है, जिसके सापेक्ष अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें, जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग प्रतिमाह समान रूप से की जाय। बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय यदि सम्बन्धित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को सम्बन्धित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एक मुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबन्धन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(2)-स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-24/2022/बी0-1-750/दस-2022/2022, दिनांक-08.11.2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के

अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये। धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा-88 में इंगित व्यवस्था के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग सीमा/स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के भीतर रखा जाये।

(3)-वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा संबंधित वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये। इस संबंध में बी0एम0-13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय के विवरण सहित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उपर्युक्त धनराशि व्यय किये जाने के संबंध में उत्तरप्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डड्रस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

(5)- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07 जून 2022 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-24/2022/बी0-1-750/दस-2022/2022, दिनांक-08.11.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

(6)-प्रश्नगत योजना की गाइडलाइन्स के अनुसार कार्यवाही की जाय।

(7)-प्रश्नगत योजनान्तर्गत लाभार्थी के बैंक खाते में आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से भुगतान किया जाय।

(8)-यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है।

(9)- अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(10)-स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा
निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(11)-प्रश्नगत स्वीकृत केन्द्रांश की धनराशि का समायोजन भारत सरकार से प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता की धनराशि से किया जायेगा।

(12)-बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, समाज कल्याण का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, समाज कल्याण द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(13)-प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्यमद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी

(14)-निदेशक, समाज कल्याण द्वारा योजना हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों/गाइडलाइन का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 20,48,82,875 (रुपये बीस करोड़ अड़तालीस लाख बयासी हजार आठ सौ पचहत्तर मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 2225017890111 अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को सहायता (50% भारत सरकार जिला योजना) (के.50/रा.50-के.) **मानक मद** 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-4-542-X-2022-23-दिनांक:22-3-2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

रजनीश चन्द्र
Signed by रजनीश चन्द्र
Date: 23-03-2023 15:06:06
Reason: Approved
विशेष सचिव
उ0प्र0शासन।

संख्या-33/2023/ —— /001-828 26-3-2023, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,प्रयागराज।
2-प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
3-मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन,लखनऊ।
4-वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
5-निदेशक एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
6-वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-4/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
7-गार्डफाइल।

आज्ञा से,

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव,
उ0प्र0शासन।